टी0ए0 मिस केस सं0 84/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
07-09-19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री बैगो बिरूवा, पिता– स्व0 माधो बिरूवा,** ग्राम– **बुटका, थाना– मंझारी,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **मतकमहातु,** थाना नं०– 642, खाता नं०– 319, प्लॉट नं०– 1298, रकवा– 0.16 एकड़ भूमि बंधक लेने वाले केनरा **बैंक तांतनगर,** थाना– मंझारी से ऋण प्राप्त करने हेतु बंधक रखने की अनुमति की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (क) परन्तुक के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बंधक की ~~हेतु~~ अनुमति हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। बंधककर्ता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक ने क्रय कर नामान्तरण मु०सं० 156/95–96 द्वारा आवेदक के नाम से नामान्तरण हुआ है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 503,दिनांक– 20.7.2019 द्वारा प्राप्त दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बैंक से ऋण लेकार घर का विस्तार करने के कारण भू–खण्ड को बंधक **केनरा बैंक तांतनगर ,थाना– मंझारी** में बन्धक करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक मौजा मतकमहातु में निवास करते हैं। ग्रामीण मुण्डा का बंधक करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के प्रतिवेदनानुसार आवेदक **श्री बैगो बिरूली, पिता– स्व0 माधो बिरूली,** ग्राम– बुटका, थाना– **मंझारी,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का आवेदित भू–खण्ड लेने वाले वंधककर्ता **केनरा वैंक तांतनगर,** थाना– **मंझारी** के मौजा– **मतकमहातु,** थाना नं०– 642, खाता नं०–319 प्लॉट नं०– 1298, रकवा– 0.16 एकड़ जमीन को बंधक रखने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क)परन्तुक के अन्तर्गत बंधक रखने की ....अनुमति....दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner